दैनिक
न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, शनिवार 25 अप्रैल 2020

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

जिले में गुटका, तम्बाकू एवं गुड़ाखु के क्रय-विक्रय पर लगी रोक

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आदेश जारी कर संपूर्ण रायगढ़ जिले में गुटका, तम्बाकू एवं गुड़ाखु के क्रय-विक्रय पर तत्काल रोक लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा, जो दिनांक 03 मई 2020 या आगामी आदेश जो पहले आये तब तक प्रभावशील रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन किये जाने पर धारा 188 भादवि के तहत कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है। जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रहा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोना वायरस के पीड़ित व संदेही से दूर रहने व संगरोध की सख्त हिदायत है। प्रायरू देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका तंबाकू का सेवन कर सार्वजनिक स्थल पर थूक दिया जाता है जिससे संक्रमण बढने का खतरा होता है।

राजस्व विभाग ने कोरोना को हराने प्रशानिक दायित्व निर्वहन के साथ दिया आर्थिक सहयोग

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) को हराने शासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। इसके साथ ही हर कोई अपने तरीके से शासन प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। इस मुश्किल घड़ी व लॉक डाउन के बीच भी प्रशासनिक अमला अपने दायित्वों का पूरी सजगता व समर्पण के साथ निर्वहन कर रहा है। जिसमें कंट्रोल रूम के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करनाए लॉक डाउन के दौरान राहत शिविर व फूड कैम्प का संचालनए लॉ एंड आर्डर बनाये रखनाए महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समन्वय व उसका प्रसार करने के साथ आमजन की सुविधा के लिए तमाम जरूरी व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिन.रात कार्य कर रहा है।इन सब प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही सरकार की कोशिशों को मजबूती देने के लिए जिला प्रशासन राजस्व स्थापना जिला रायगढ़ अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय (सामान्य/स्थानीय), भू-अभिलेख शाखा, खाद्य शाखा, अनुभाग एवं तहसील कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन से स्वेच्छापूर्वक मुख्यमंत्री राहत कोष में 6 लाख 81 हजार 718 रुपये सहयोग राशि जमा करवाया गया है।

बीजापुर में भी ताजे फल-सब्जी की घर पहुंच ऑनलाईन सुविधा

न्याय साक्षी/रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम व आवागमन को देखते हुए राज्य में सीजी हाट पोर्टल बनाकर ताजे फल-सब्जी की ऑनलाईन घर पहुंच सेवा प्रारंभ की गई है। बीजापुर जिले में इस ऑनलाईन सेवा का शुभारंभ करते ही ग्राहकों के घर तक फल-सब्जी पहुंचाने के लिए छह विक्रेताओं ने तथा अनेक ग्राहकों ने घर पहुंच सुविधा का लाभ उठाने ऑनलाईन पंजीयन कराया है।

बीजापुर कलेक्टर के निर्देश पर जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान सीजी हाट को शुरु किया गया है। इस कार्य हेतु जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर बीजापुर मो.नं.-7000876785 ई-मेल आईडी को जिला एडमिन नियुक्त किया गया है। इस ऑनलाईन सेवा के लिए वेबपोर्टल हेतु हेल्प लाईन नम्बर 07853-220023 प्रातः 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक संचालित किया गया है। साथ ही सिटी एडमिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी बीजापुर मो. नं.- 9340755336, प्रधान मुख्य नगर पालिका अधिकारी भैरमगढ़ मो.नं.-9399701802, 6268165282 मुख्य नगर पालिका अधिकारी भोपालपटनम को सिटी एडमिन नियुक्त किया गया है। ऑन लाईन सब्जी और फल की घर पहुंच सेवा के लिए की जानकारी हेतु नगर पालिका कार्यालय में विक्रेताओं की बैठक लेकर इस संबंध में पूरी जानकारी दी गई है।

बिना मास्क लगाए सड़क पर निकलने वालों का कट रहा चालान

रायपुर, (आरएनएस)। राजधानी पुलिस ने अब हेलमेट न पहनने वालों के साथ ही बिना मास्क के घर से निकलने वालो लोगों की धरपकड़ तेज कर दी है। कोरोना संक्रमण के चलते लगे लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद से ही सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी है।

राजधानी पुलिस ने शहर के सभी प्रमुख चौक-चौराहों पर तगड़ी चौकसी बढ़ा दी है। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद तथा दुकानों के खुल जाने के बाद से ही शहर में अचानक से भीड़ बढ़ने लगी है। जिला प्रशासन ने अधिकांश दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुले रखने का आदेश दिया है। इससे जहां लोगों को लंबे अंतराल के बाद थोड़ी से राहत मिली है।

मेडिकल स्टाफ हर हफ्ते कर रहे कोरोना मरीज के इलाज का मॉक ड्रिल

• एमसीएच अस्पताल में बनाया गया है सैंपल कलेक्शन बूथ, • रायगढ़ जिले में नही है कोई कोरोना पॉजिटिव मरीज

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार के निर्देश पर कोविड-19 के इलाज के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए मातृ एवं शिशु चिकित्सालय में मेडिकल स्टाफ द्वारा प्रत्येक सप्ताह मॉक ड्रिल किया जा रहा है। साथ ही कोरोना जांच के लिए स्वाब सैंपल लेने के लिए सेम्पल कलेक्शन बुथ बनाया गया है। इसके अलावा 100 बिस्तर का आईसोलेशन वार्ड मेडिकल उपकरणों के साथ तैयार कर लिया गया है।नोडल अधिकारी डॉ.वेद प्रकाश गिल्ले ने बताया कि कोरोना के इलाज के लिए मेडिकल स्टॉफ की संख्या को लगभग 125 तक बढ़ाकर उनका प्रशिक्षण दिया गया है। वर्तमान में रायगढ़ जिले में कोई केस नहीं होने की स्थिति में पूरे स्टाफ को 4 टीम में बांट कर काम लिया जा रहा है। स्टॉफ में डॉक्टरों के अलावा स्टॉफ नर्स, वार्ड ब्वाय, फार्मासिस्ट, लैब टैक्नीशियन, एम्बुलेंस स्टाफ, स्वीपर आदि शामिल है। अस्पताल के चार मंजिलों पर 100 बिस्तर का आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है।

सेम्पल कलेक्शन बूथ

डॉ.गिल्ले ने बताया कि अस्पताल में स्क्रीनिंग ओपीडी के समीप सैंपल कलेक्शन बूथ बनाया गया है। जो अगले 3-4 दिनों में पूर्णतरू तैयार हो जायेगा। सैंपल कलेक्शन बूथ एक क्लोज्ड चेम्बर होता है। जो सभी ओर से कांच व एल्युमीनियम से पैक होता है। जिसके पीछे की ओर एक दरवाजा होता है जिससे तकनीशियन सेम्पल लेने अंदर जाता है। बूथ में सैंपल लेने के लिए दो छेद होते हैं जिनमें ग्लव्स जुड़े हुए होते हैं। इसके अंदर खड़े होकर लैब टैक्नीशियन द्वारा छेद से हाथ निकाल कर ग्लव्स की सहायता से बूथ के सामने बैठे मरीज का स्वाब सेम्पल लिया जाता है।

सैंपल कलेक्शन बूथ कोरोना जांच के लिए सैंपल लेने का बेहतर व अधिक सुरक्षित तरीका है। इस बूथ के लगने से बार-बार तकनीशियन को पीपीई किट पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी व किट की खपत कम होगी।

कोरोना प्रसार रोकथाम के लिए जारी निर्देशों का पालन नही करने पर अब लगेगा अर्थदण्ड

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर यशवंत कुमार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों तथा अन्य निर्देशों के पालन नही करने वालों पर अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने के संबंध में आदेश जारी किया है।

जारी आदेश अनुसार सार्वजनिक स्थानों पर मॉस्क या अन्य तरीकों से चेहरा नहीं ढंका पाए जाने पर 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 100 रुपये, सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक विचरण अथवा सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रति व्यक्ति 200 रुपये अर्थदण्ड लगाया जायेगा।

इसी प्रकार दुपहिया वाहनों पर एक से अधिक सवारी पाए जाने पर 200 रुपये, चार पहिया वाहन में ड्राइवर की पिछली सीट पर एक सवारी हो सकती है इसके अतिरिक्त पिछली सीट पर अथवा सामने की सीट पर अतिरिक्त सवारी होने पर 200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया जाएगा।

छूट प्राप्त दुकानों और संस्थानों के द्वारा मास्क का उपयोग नहीं करने पर एवं उनके द्वारा अनावश्यक विचरण अथवा सोशल व फिजिकल डिस्टेंस सिद्धांत का उल्लंघन करते पाए जाने पर प्रथम बार अर्थदण्ड 500 रुपये, द्वितीय बार 1000 रुपये व इसके बाद भी पुनरावृत्ति होने पर दुकान संचालन की छूट समाप्त कर दी जाएगी। उपरोक्त अर्थदण्ड के अतिरिक्त विभिन्न प्रभावी अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी। उक्त अर्थदण्ड स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा अधिरोपित किया जा सकेगा।

ट्रैफिक पुलिस ने स्टाइलिश व स्लोगन वाले नंबर प्लेट उतरवाए

»वाहनों का चालान ना काट कर मौके पर ही लिखवाए गए प्लेट पर नंबर

»आने वाले दिनों में ट्रैफिक पुलिस चलाएगी बड़ा अभियान

न्याय साक्षी/रायगढ़। यह सही है कि पुलिसवालों की सख्त कार्यवाही से उनके वास्तविक रूप से भिन्न छवि समाज के सामने आती है किंतु कोरोना के दौर में पुलिस की छवि संवेदनशील एवं कृपालुता की ज्यादा देखने को मिल रही है।पिछले कई दिनों से यातायात पुलिस द्वारा लगातार बेवजह सड़कों पर घूमने वाले दुपहिया एवं चार पहिया वालों पर चालानी कार्यवाही किया गया किंतु आज ट्रैफिक एडिशनल श्री आर.के. मिंज एवं ट्रैफिक डीएसपी श्री पुष्पेंद्र बघेल द्वारा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर बाइक के पीछे स्टाइलिश नंबर प्लेट व स्लोगन लिखे हुए बाइकर्स को रोके और सत्तीगुड़ी चौक पर लाकर पेंटर से उनके नम्बर प्लेट में निर्धारित नमूना अनुसार नम्बर अंकित कराया गया व समझाइश दी गई है कि दुबारा छेड़खानी करने पर नियमानुसार मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही की जावेगी।

आप जब अपनी गाड़ी से कहीं जाते हैं और पुलिसकर्मियों के द्वारा आपको रोककर गाड़ी के दस्तावेजों की जाँच की जाती है साथ ही नंबर प्लेट का लेटर स्टाइल भी देखा जाता है और कहीं भी गलत पाए जाने पर पुलिस द्वारा चालान काटा जाता हैं।

ऐसा इसलिए कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें बगैर नंबर लिखें या स्टाइलिश नंबर प्लेट, स्लोगन लिखे वाहन दुर्घटना कर भाग जाते हैं। ऐसे वाहनों की पहचान नहीं हो पाती है। इस कारण आरोपी बच जाते हैं तथा दुर्घटना से बचाव के लिए चालकों का यातायात नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक है।

ट्राफिक डीएसपी श्री पुष्पेंद्र बघेल ने बताया कि ऐसे वाहनों के चालान काटे जा रहे हैं। उन वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है।

जैसे ही कोई वाहन ऐसा मिलता है जिस पर नंबर नहीं है तथा स्लोगन लिखा है, उसे तुरंत इंपाउंड कर दिया जाता है।

लाक डाउन के बाद ट्रैफिक पुलिस जिस भी बाइक या कार पर नंबर प्लेट निर्धारित मापदंड अनुसार नहीं पाई गई, उस पर पुताई कर उसका नाम पता नोट किया जावेगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर चालक का तगड़ा चालान बनाया जाएगा।

रिटायर्ड एस.आई. के लिये दो जवानों ने किया रक्तदान

न्याय साक्षी/रायगढ़। कुछ दिनों पूर्व थाना घरघोड़ा के प्रधान आरक्षक मनोज मरावी द्वारा एक अपरिचित गर्भवती महिला के लिये स्वेच्छा से सी.एच.सी. घरघोड़ा जाकर रक्त दान किया गया था। आज पुलिस डिपार्टमेंट के रिटायर्ड एस.आई. चंदन सिंह के लिये थाना पूंजीपथरा एवं थाना बरमकेला के जवानों ने रायगढ़ संजीवनी अस्पताल आकर रक्तदान किये।

दरअसल रिटायर्ड एस.आई. चंदन सिंह जिले में काफी लंबे समय तक अपनी सेवाएं देकर रिटायर्ड हुए हैं। वे काफी मिलनसार व्यक्ति हैं , वर्तमान में वे किडनी की तकलीफ से मेट्रो अस्पताल में भर्ती हैं, उनका पुत्र विरेन्द्र सिहं भी जिला पुलिस में कांस्टेबल है। उसने अपने पिताजी के मेट्रो में भर्ती रहने तथा उन्हें एक रेयर ब्लड ग्रुप से ब्लड की आवश्यकता है, अपने दोस्तों को बताया। तब थाना पूंजीपथरा के आरक्षक विनोद शर्मा एवं थाना बरमकेला के आरक्षक पुष्पेन्द्र मराठा ने वही ब्लड ग्रुप के होना बताये और दोनों स्वेच्छा से संजीवनी अस्पाताल आकर

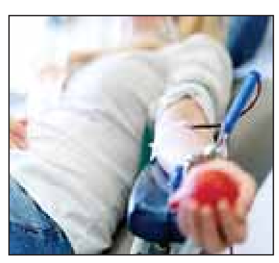

रक्तदान किये। असल में लॉक डाउन में किसी रेयर ब्लड ग्रुप का मिल पाना काफी कठिन है, ऐसे में जिला पुलिस के दो रक्तवीरों ने जरूरत के समय रक्तदान कर अपनी जिम्मेदारी निभाये, जो प्रशंसनीय है।

युवक की लाश मिलने से सनसनी फैली

कोरबा, (आरएनएस)। बालको थाना क्षेत्र के ग्राम बेला में एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गयी। लाश को देखने पर हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस स्कॉट डॉग को लेकर मौके पर पहुच गयी है।बताया जा रहा है कि मृतक कल रात लगभग 7 बजे घर से निकल था। देर रात तक घर नही आया तब परिजनों को चिंता हुई। आस पास सभी जगह पतासाजी करने पर भी कोई जानकारी नही मिली। फोन स्विच ऑफ हो गया था। सुबह कुछ युवकों ने बालको टाउनशिप के पीछे जंगल मे युवक की लाश देखी।

कोरोना को हराने प्रशानिक दायित्व निर्वहन के साथ दिया आर्थिक सहयोग

राजस्व विभाग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 6 लाख 81 हजार रुपये

न्याय साक्षी/रायगढ़। कोरोना वायरस (कोविड-19) को हराने शासन द्वारा व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे है। इसके साथ ही हर कोई अपने तरीके से शासन प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान कर रहा है। इस मुश्किल घड़ी व लॉक डाउन के बीच भी प्रशासनिक अमला अपने दायित्वों का पूरी सजगता व समर्पण के साथ निर्वहन कर रहा है। जिसमें कंट्रोल रूम के माध्यम से जरूरतमंदों की मदद करनाए लॉक डाउन के दौरान राहत शिविर व फूड कैम्प का संचालनए लॉ एंड आर्डर बनाये रखनाए महत्वपूर्ण सूचनाओं के लिए समन्वय व उसका प्रसार करने के साथ आमजन की सुविधा के लिए तमाम जरूरी व्यवस्था बनाये रखने हेतु दिन.रात कार्य कर रहा है।

इन सब प्रशासनिक दायित्वों के निर्वहन के साथ ही सरकार की कोशिशों को मजबूती देने के लिए जिला प्रशासन राजस्व स्थापना जिला रायगढ़ अंतर्गत कलेक्टर कार्यालय, निर्वाचन कार्यालय (सामान्य/स्थानीय), भू-अभिलेख शाखा, खाद्य शाखा, अनुभाग एवं तहसील कार्यालयों में पदस्थ अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा अपने वेतन से स्वेच्छापूर्वक मुख्यमंत्री राहत कोष में 6 लाख 81 हजार 718 रुपये सहयोग राशि जमा करवाया गया है।

कन्ट्रोल प्रभारी को कॉल कर श्रमिकों ने मांगी मदद

प्रभारी पहुंचे दल बल के साथ, ड्राई राशन, फल का किए वितरण

न्याय साक्षी/रायगढ़। लॉक डाउन की घोषणा के बाद शुरुआती कुछ दिन काफी चुनौतीपूर्ण और संवेदनशील थे। जिले में स्थापित छोटी-बड़ी फैक्टरियों में काम कर रहे मजदूर अपने गांव लौटने की फिराक में थे जिन्हें जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा उचित बंदोबस्त किया गया है तथा लॉक डाउन का पालन करते हुए बहुत से श्रमिक अपने स्वयं एवं कम्पनियों की व्यवस्था से अपने सराय में रूके हुए हैं।

पुलिसवाले ऐसे सभी श्रमिकों की सहायता कर रहे है, जिला प्रशासन व पुलिस विभाग के बेहतर तालमेल से श्रमिकों का पलायन नहीं हुआ व संक्रमण बढ़ने से पहले ही रोक लगा दी गई जिससे स्थितियां काफी अच्छी है। जिले में सब कुछ नियंत्रण में है।

ऐसे ही आज दिनांक 24.4.2020 को करीब 1135 बजे पुलिस कन्ट्रोल रूम प्रभारी उपनिरीक्षक नंदलाल पैंकरा के निजी मोबाईल नंबर में काल कर कॉलर ने बताया कि गेरवानी-पूंजीपथरा गायत्री रोलिंग मिल में 14-15 मजदूरों के पास राशन सामग्री समाप्त हो गई है, मदद की आवश्यकता है। तब उपनिरीक्षक नंदलाल पैंकरा द्वारा ड्राई राशन एवं आलू, प्याज आदि की व्यवस्था कर श्रमिकों के लिए मौसमी फल तरबूज, केला वगैरह खरीदकर स्वयं डॉयल 112 में कॉल कर एक इवेंट बनाये और कोतवाली राइनो 01 को बुलाकर अपनी टीम के साथ गेरवानी पहुंचे जहां मजदूरों को राशन एवं फल वितरण किया गया।

उपनिरीक्षक पैंकरा द्वारा मजदूरों को समझाइश दिया गया कि लॉक डाउन का पालन करें, किसी प्रकार की रहने, खाने की समस्या होगी तो डॉयल 112 अथवा नजदीकी थाने में कॉल करें। इस मानवीय कार्य में पुलिस कन्ट्रोल रूम एवं डॉयल 112 प्रभारी उपनिरीक्षक नंदलाल पैकरा एवं सहायक प्रभारी उपनिरीक्षक दूरसंचार पुष्पेन्द्र कुमार , कोतवाली राइनो 01 के आरक्षक क्रमांक 117 रितेश कुमार लकड़ा और चालक भरत भारद्वाज का सराहनीय योगदान रहा।

लॉकडाउन के दौरानकृषि कार्य से जुड़ी दुकानें खोलने की सशर्त अनुमति

रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण एवं उनके स्पेयर पार्ट्स की विभिन्न दुकानों को मिली अनुमति
सुबह 11 से शाम 5 बजे तक विकासखण्डवार व्यवसायी खोल सकेंगे दुकान

न्याय साक्षी/रायगढ़। कलेक्टर श्री यशवंत कुमार द्वारा रायगढ़ जिले में लॉकडाउन के दौरान रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण एवं उनके स्पेयर पार्ट्स तथा उनके मरम्मत संबंधी संस्थानों को विकासखण्डवार सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाने हेतु विभिन्न शर्तो के अधीन अनुमति प्रदान की है। आदेश के अनुसार रासायनिक खाद, बीज, कीटनाशक दवा, कृषि उपकरण एवं उनके स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जिनमें कृषि उपकरणों में सभी प्रकार के ट्रेक्टर, पावर ट्रिलर कम्बाईन हार्बेस्टर एवं अन्य सभी कृषि उपकरण जो कृषि कार्यो में उपयोग में लाये जाते है शामिल हैं।

आदेश में कोरोना संक्रमण से रोकथाम के लिए जारी किये गए सुरक्षात्मक उपायों के अनिवार्यतः पालन करने के निर्देश भी शामिल है। जिसके तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठान में एक समय में एक ही कृषक की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये। प्रतिष्ठान को सेनेटाईज किया जाए, दुकान के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक केता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश कर सकते है। व्यवसायिक परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ग्राहक व व्यवसायी तथा उपस्थित सभी व्यक्ति मॉस्क लगाकर ही सेवा व लेनदेन करेंगे।

अनुमति प्राप्त संस्थान

विकासखण्ड रायगढ़ अंतर्गत बंसल कृषि केन्द्र चक्रधर नगर रायगढ़, गोयल फर्टिलाईजर जूटमिल रोड रायगढ़, मांगेराम रामकुमार जूटमिल रोड रायगढ़, दिलीप कृषि केन्द्र नंदेली, न्यू कृषि वेदान्ता जूटमिल रोड रायगढ़ एवं किसान इंटरप्राईजेस जूटमिल रोड रायगढ़ शामिल है। इसी तरह विकासखण्ड खरसिया अंतर्गत संतोष ट्रेडर्स खरसिया, हरिराम सुल्तानिया खरसिया, गबेल कृषि केन्द्र गोरपार, बालाजी ट्रेडर्स खरसिया एवं किसान कृषि केन्द्र मदनपुर, विकासखण्ड धरमजयगढ़ अंतर्गत गबेल कृषि केन्द्र हाटी, चौधरी कृषि केन्द्र धरमजयगढ़, राय कृषि सेवा केन्द्र कापू, गांधी कृषि केन्द्र धरमजयगढ़ एवं मंडल कृषि केन्द्र धरमजयगढ़, विकासखण्ड लैलूंगा अंतर्गत प्रगति कृषि केन्द्र लैलूंगा, संदीप ट्रेडर्स लैलूंगा एवं तोलगे कृषि सेवा केन्द्र तोलगे, विकासखण्ड घरघोड़ा अंतर्गत पण्डा बीज भण्डार घरघोड़ा, पटेल कृषि केन्द्र नवापारा टेण्डा एवं ठाकुर कृषि सेवा केन्द्र घरघोड़ा, विकासखण्ड तमनार अंतर्गत संजू कृषि केन्द्र तमनार, गुप्ता कृषि केन्द्र बरभांठा चौक गोढ़ी एवं सुमित्रा कृषि केन्द्र मीलूपारा, विकासखण्ड पुसौर अंतर्गत ओम कृषि केन्द्र बोरोडीपा, प्रकाश ट्रेडर्स पुसौर, विकासखण्ड बरमकेला अंतर्गत हनि ट्रेडिंग कंपनी बरमकेला, राजेश कुमार अग्रवाल बरमकेला, नायक कृषि केन्द्र बरमकेला, अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र सरिया एवं पटेल कृषि सेवा केन्द्र सरिया, विकासखण्ड सारंगढ़ अंतर्गत नंदकिशोर अग्रवाल सारंगढ़, कृषक सेवा केन्द्र सारंगढ़, अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र सारंगढ़ एवं मकरू बीज भण्डार सारंगढ़ शामिल है।

कृषि यंत्र विक्रेता में

महिन्द्रा ट्रेक्टर एजेंसी रायगढ़, स्वराज ट्रेक्टर एजेंसी बाईपास रोड रायगढ़, बोतल्दा मोटर (आयशर ट्रेक्टर एजेंसी)बाईपास रोड रायगढ़ (कोसमनारा), जॉन डियर एजेंसी बाईपास रोड रायगढ़, मेसी फार्गुसन एजेंसी जगतपुर रोड रायगढ़, कोवोटा ट्रेक्टर एजेंसी छातामुड़ा चौक रायगढ़, मित्तल एग्रीकल्चर रायगढ़, दिनेश इलेक्ट्रीकल कोतरारोड रायगढ़, मित्तल ट्रेडर्स कार्मेल स्कूल रोड़ रायगढ़, आशाराम इलेक्ट्रीकल अपोजिट कार्मेल स्कूल रोड रायगढ़, बंसल ट्रेडिंग मेन हास्पीटल रायगढ़, जनरल ट्रेडिंग कंपनी रायगढ़, मुकेश इलेक्ट्रीकल्स एवं गुप्ता इलेक्ट्रीकल्स धरमजयगढ़, आशा सेल्स बरमकेला शामिल है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480